

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर, चित्रकूट, बहराइच,
बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं श्रावस्ती, उ०प्र०।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:दिनांक: 24 मार्च, 2020

विषय:- जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में नियुक्त सलाहकार (आपदा प्रबंधन) के मानदेय के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन०डी०एम०एस० पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत खतरे के प्रति संवेदनशील उक्त जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण के लिए नियुक्त सलाहकार (आपदा प्रबंधन) के मानदेय के भुगतान हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रु० 67,20,000/- (रुपये सरसठ लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि**, सम्बंधित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	स्वीकृति धनराशि (लाख रु०)
1-	चन्दौली	8.40
2-	सोनभद्र	8.40
3-	फतेहपुर	8.40
4-	चित्रकूट	8.40
5-	बहराइच	8.40
6-	बलरामपुर	8.40
7-	सिद्धार्थनगर	8.40
8-	श्रावस्ती	8.40
	योग	67.20

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (4) स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष

की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक “2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0103-खतरों के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढीकरण हेतु (के. -100/रा.-00-के.)” के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(संजय गोयल)
सचिव।

संख्या: 48 (1)/एक-10-2020, दिनांक: 24 मार्च, 2020

प्रतिलिपित- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 5- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- राजस्व अनुभाग-6/11।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव।

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर, चित्रकूट, बहराइच,
बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं श्रावस्ती, उ०प्र०।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:दिनांक: 24 मार्च, 2020

विषय:- जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में नियुक्त सलाहकार (आपदा प्रबंधन) के मानदेय के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन०डी०एम०एस० पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत खतरे के प्रति संवेदनशील उक्त जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढीकरण के लिए नियुक्त सलाहकार (आपदा प्रबंधन) के मानदेय के भुगतान हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रु० 67,20,000/- (रुपये सरसठ लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि**, सम्बंधित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	स्वीकृति धनराशि (लाख रु०)
1-	चन्दौली	8.40
2-	सोनभद्र	8.40
3-	फतेहपुर	8.40
4-	चित्रकूट	8.40
5-	बहराइच	8.40
6-	बलरामपुर	8.40
7-	सिद्धार्थनगर	8.40
8-	श्रावस्ती	8.40
	योग	67.20

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष

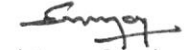
की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0103-खतरों के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढीकरण हेतु (के.-100/रा.-00-के.)" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,


(संजय गौयल)

सचिव।

संख्या: 148 (1)/एक-10-2020, दिनांक: 24 मार्च, 2020

प्रतिलिपित- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 5- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- राजस्व अनुभाग-6/11।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020

आवंटन दिनांक-24/03/2020

प्रेषण संख्या:- 148
 आवंटन आदेश संख्या:- 150-33
 अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 80 - सामान्य
 800 - अन्य व्यय
 01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें
 03 - खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्रा० के सुंहेतु-के।00-रा00

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	840000 840000	840000 840000
2	बहराइच-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	840000 840000	840000 840000
3	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	840000 840000	840000 840000
4	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	840000 840000	840000 840000
5	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	840000 840000	840000 840000
6	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	840000 840000	840000 840000
7	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	840000 840000	840000 840000
8	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	840000 840000	840000 840000
	योग	वर्तमान प्रगामी	6720000 6720000	6720000 6720000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सरसठ लाख बीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सरसठ लाख बीस हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
 वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
 वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
 राहत आयुक्त संगठन
 उ०प्र० शासन